LT-17/180

PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II, SECTION 3(1)
AS G.S.R.NO. 734, DATED 26.5.1979

Government of India(Bharat Sarkar)
Ministry of steel and Mines(Ispat Aur Khan Mantralya)
Department of Mines(Khan Vibhag)

New Delhi, the 2nd May, 1979
12 Vaisakha, 1901 Saka

N O T I F I C A T I O N

G.S.R. 734. In exercise of the powers conferred by Section 13 of the Mines and Minerals (Regulation and Development)Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960 namely:-

1. (1)These rules may be called the Mineral Concession (Amendment) Rules, 1979.

(2)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mineral Concession Rules, 1960-

(1) in rule 12, after sub-rule(1), the following sub-rules shall be inserted, namely:-

"(1A) An application for the grant or renewal of a prospecting licence made under rule 9 shall not be refused by the State Government only on the ground that Form B or Form E, as the case may be, is not complete in all material particulars, or is not accompanied by the documents referred to in clauses,(b),(c) and (d) of sub-rule (2) of the said rule.

(1B) Where it appears that the application is not complete in all material particulars or is not accompanied by the required documents, the State Government shall, by notice, require the applicant to supply the omission or, as the case may be, furnish the documents without delay and in any case not later than thirty days from the date of receipt of the said notice by the applicant."

(ii)rule 26 shall be renumbered as sub-rule (1) of that rule and after sub-rule(1), as so renumbered, the following sub-rules shall be inserted, namely:-

"(2) An application for the grant or renewal of a mining lease made under rule 22 or rule 28, as the case may be, shall not be refused by the State Government only on the ground that Form I or Form J as the case may be, is not complete in all material particulars, or is not accompanied by the documents referred to in clauses (b), (c) and (d) of sub-rule (3) of rule 22.

(3) Where it appears that the application is not complete in all material particulars or is not accompanied by the required documents, the State Government shall, by notice, require the applicant to supply the omission or, as the case may be, furnish the documents, without delay and in any case not later than thirty days from the date of receipt of the said notice by the applicant."

File No. 1(74)/75-MVI/MM

Sd/-

(J.A.Chowdhury)
Deputy Secretary to the Govt. of India

To

The General Manager,
Govt. of India Press,
Mayapuri Industrial Area,
New Delhi.

भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3(i) में सा0का0नि0 734 दिनांक 26-5-1979 के रूप में प्रकाशित

भारत सरकार
इस्पात और खान मंत्रालय
खान विभाग

.....

नई दिल्ली, दिनांक 2 मई, 1979

अधिसूचना

सा0का0नि0 734 – केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज रियायत नियम, 1960 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का नाम खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 1979 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. खनिज रियायत नियम, 1960 में,–

(i) नियम 12 में, उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :–

"(1क) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के अनुदान या नवीकरण के लिए नियम 9 के अधीन किए गए किसी आवेदन को राज्य सरकार द्वारा इस आधार पर नामंजूर नहीं किया जाएगा कि, यथास्थिति, प्ररूप स या प्ररूप ब या प्ररूप ड· सभी तात्विक विशिष्टियों की दृष्टि से पूर्ण नहीं है या उसके साथ वे दस्तावेज नहीं हैं जो उक्त नियम के उप नियम (2) के खंड (ख), (ग) और (घ) में निर्दिष्ट हैं ।

(1ख) जहां यह प्रतीत होता है कि आवेदन सभी तात्विक विशिष्टियों की दृष्टि से पूर्ण नहीं है या उसके साथ अपेक्षित दस्तावेज नहीं है वहां राज्य सरकार, सूचना देकर, आवेदक से इस बात की अपेक्षा करेगी कि वह, अविलम्ब, और किसी भी दशा में आवेदक द्वारा उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर, यथास्थिति उस लोप की पूर्ति करे या दस्तावेजों को प्रस्तुत करे,"

....2/..

(ii) नियम 26 को उस नियम के उपनियम (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपनिय (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(2) नियम 22 या यथास्थिति, नियम 28 के अधीन खनन पट्टे के अनुदान या नवीकरण के लिए किए गए किसी आवेदन को राज्य सरकार द्वारा केवल इस आधार पर नामंजूर नहीं किया जाएगा कि, यथास्थिति, प्ररूप झ या प्ररूप ञ सभी तात्विक विशिष्टियों की दृष्टि से पूर्ण नहीं है या उसके साथ वे दस्तावेज नहीं है जो नियम 22 के उपनियम (3) के खंड (ज), (ग) और (घ) में निर्दिष्ट हैं ।

(3) जहां यह प्रतीत होता है कि आवेदन सभी तात्विक विशिष्टियों की दृष्टि से पूर्ण नहीं है या उसके साथ अपेक्षित दस्तावेज नहीं है वहां राज्य सरकार, सूचना देकर, आवेदक से इस बात की अपेक्षा करेगी कि वह, अविलम्ब, और किसी भी दशा में आवेदक द्वारा उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर यथास्थिति, उस लोप की पूर्ति करे या दस्तावेज प्रस्तुत करे।"

फा0 सं0 1(74)/75-एम 6

ह0/

(जे0ए0 चौधरी)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में

महा प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,
नई दिल्ली ।

EXTRACTS FROM THE MINERAL CONCESSION RULES, 1960

Rule 12

"12. Refusal of application for prospecting licence.- (1) The State Government may, for reasons to be recorded in writing and communicated to applicant, refuse to grant or renew a prospecting licence over the whole or part of the area applied for. [No. 1(22)/63-MII dt. 18.7.63.]

(2) An application for the grant of a prospecting licence shall not be refused on the ground only that, in the opinion of the State Government, a mining lease should be granted for the area for which the application for a prospecting licence has been made:

Provided that where applications for the grant of prospecting licence and applications for the grant of mining lease in respect of the same area are received on the same date or on different dates within a period of thirty days, the applications for the grant of mining lease shall, if the area was previously held and worked under a mining lease, be disposed of before the applications for the grant of prospecting licence are considered."

Rule 26:

"26. Refusal of application for grant and renewal of mining lease.- The State Government may, for reasons to be recorded in writing and communicated to the applicant, refuse to grant or renew a mining lease over the whole or part of the area applied for."

खनिज रियायत नियम, 1960 के उद्धरण

<u>नियम- 12</u>

12. पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के आवेदन का नामंजूर किया जाना -- (1) राज्य सरकार, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे और आवेदक को संसूचित किए जाएंगे, आवेदित सम्पूर्ण क्षेत्र पर या उसके किसी भाग पर पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने या नवीकृत करने से इंकार कर सकेगी ।

(2) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के अनुदान के आवेदन को केवल इस आधार पर नामंजूर नहीं किया जाएगा कि राज्य सरकार की राय में उस क्षेत्र के लिए जिस के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया गया है, खनन पट्टा अनुदत्त किया जाना चाहिए;

परन्तु जहां एक ही क्षेत्र के बारे में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के अनुदान के लिए आवेदन और खनन पट्टे के अनुदान के लिए आवेदन एक ही तारीख को या तीस दिन की अवधि के भीतर भिन्न-भिन्न तारीखों को प्राप्त हो वहां यदि यह क्षेत्र पहले किसी खनन पट्टे के अधीन धारित और खनित्त था तो खनन पट्टे के अनुदान के आवेदन पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों के आवेदनों पर विचार करने के पूर्व निपटाए जाएंगे ।

×× ×× ×× ×× ×× ××

<u>नियम - 26</u>

26. खनन पट्टे के अनुदान या नवीकरण के आवेदन का नामंजूर किया जाना- राज्य सरकार ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे और आवेदक को संसूचित किए जाएंगे, सम्पूर्ण आवेदित क्षेत्र या उसके भाग के लिए कोई खनन पट्टा अनुदत्त या नवीकृत करने से इंकार कर सकेगी ।